अध्याय–IV
लोक कार्यालय
लोक कार्यालयों के अभिलेखों के निरीक्षण का अभाव
रजिस्ट्रार ऑफ फर्मस्
ऋण वसूली प्राधिकरण
रीको द्वारा पट्टा विलेखों के पंजीयन का अभाव
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज्

अध्याय–IV

लोक कार्यालय

सरकार ने ऐसे सभी कार्यालयों को लोक कार्यालय घोषित (सितम्बर 1997) किया था जहाँ लेख्य पत्र प्रस्तुत किये जाते है। ये कार्यालय अमुद्राकिंत लेख्य पत्रों को कलक्टर (मुद्रांक) की जानकारी में लाने के लिए उत्तरदायी थें।

4. लोक कार्यालयों के अभिलेखों के निरीक्षण का

रा.मु.अ., 1998 की धारा 37(3) के अनुसार राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि कौन से कार्यालय लोक कार्यालय होगें तथा लोक कार्यालयों का प्रभारी अधिकारी कौन व्यक्ति होगा। रा.मु.नि., 2004 के नियम 64(1) में प्रावधान है कि जहॉ एक अमुद्रांकित या कम मुद्रांकित लेख्य पत्र निरीक्षण अथवा अन्य प्रकार से लोक अधिकारी की जानकारी में आये, उसके संबंध में तुरन्त एक प्रतिवेदन कलक्टर (मुद्रांक) को देगा। महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक ने (जनवरी 1996) में उप महानिरीक्षकों/कलक्टर (मुद्रांक) को लोक कार्यालयों के अभिलेखों का निरीक्षण करने हेतु निर्देशित किया था, कि क्या जनता द्वारा मुद्रांक कर का सही भुगतान किया जा रहा था। इसके पश्चात महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक के परिपत्र दिनांक 23 दिसम्बर 2009 के अनुसार उ.म./अ.क.(मुद्रांक) द्वारा लोक कार्यालयो का निरीक्षण प्रभावी ढंग से सम्पादित नहीं किया जा रहा था, फलस्वरूप राज्य को राजस्व की हानि हो रही थी तथा निर्देशित किया कि उ.म./अ.क.(मुद्रांक)/उ.पं. द्वारा उनके क्षैत्राधिकार के लोक कार्यालयों की एक सूची तैयार करे एवं निरीक्षण की एक योजना इस

अभाव

हमने पाया कि उ.म./अ.क.(मुद्रांक)/उ.पं. ने निर्धारित निरीक्षण नहीं किये जिसके फलस्वरूप अधिकांश प्रकरणों की अनियमितताएं उजागर नहीं हो सकी तथा इस कारण राज्य को राजस्व की अप्राप्ति हुई।

कुछ लोक कार्यालयों की हमारी समीक्षा में ₹ 20.74 करोड़ के मुद्रांक कर तथा पंजीयन शुल्क की अप्राप्ति निम्न प्रकरणों में प्रकट हुई :

4.1. रजिस्ट्रार ऑफ फर्मस

4.1.1 ट्रान्सफर ऑफ लीज बाई वे ऑफ असाइन्मेंट के पंजीयन का अभाव

रा.मु.अ., 1998 की अनुसूची के आर्टिकल 55 के अनुसार ट्रान्सफर ऑफ लीज बाई वे ऑफ असाइनमेंट द्वारा हस्तान्तरित सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर कन्वेन्स की दर से मु.क. प्रभार्य है। महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक द्वारा जारी परिपत्र संख्या 6/09, में स्पष्ट किया गया है कि ऐसे लेख्य पत्र जो साझेदारी में परिवर्तन हेतु निष्पादित किये जाते है, ट्रांसफर ऑफ लीज बाई वे ऑफ असाइनमेंट की श्रेणी में आते है। पंजीयन अधिनियम 1908 की धारा 17 के अनुसार वसीयत से भिन्न ₹ 100 या इससे अधिक मूल्य वाली अचल सम्पति के अन्य लेख्य पत्र जिनमें वर्तमान या भविष्य में चाहे वास्तविक या आकस्मिक हो, अधिकार, स्वामित्व या हित, सृजन, अभिवृद्वि, हस्तान्तरण के कारण किसी प्रतिफल के भुगतान या प्राप्ति की रसीद का दायित्व हो, उनका

हमने देखा (मई 2011) कि दो साझेदारी फर्मो में साझेदार फर्म से निवृत्त हुए थें। तथा शेष साझेदार फर्म में लगातार कार्यरत रहे। फर्म ने निवृत्त साझेदारों को उनकी सम्पत्तियों के एवज में पूंजी राशि का भुगतान कर दिया गया था। इसलिए निवृत्त साझेदारों (समपर्ण कर्ताओं) की सम्पत्ति भी फर्म के अन्य साझेदारों (प्राप्तकर्ताओं) को हस्तान्तरित हो गई थी। समपर्णकर्ताओं द्वारा ₹ 11.19 करोड़ मूल्य की 1,238.485 वर्गमीटर भूमि प्राप्तकर्ताओं को हस्तान्तरित की गई थी। हालाँकि साझेदारी में परिवर्तन का किसी भी प्रकार का दस्तावेज मुद्रांकित एवं पंजीकृत नहीं था। इसके परिणामस्वरूप मु.क. एवं पं.शु. के रूप में कुल

₹ 56.45 लाख की अवसूली रही।

हमारे द्वारा ध्यान में लाये जाने पर (मई 2011) उ.पं. जयपुर–ा ने उत्तर दिया कि वसूली हेतु फर्मो को नोटिस जारी कर दिए गए थे। आगे उत्तर प्रतीक्षित रहा (जनवरी 2012)।

उप शासन सचिव (वित्त) ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2011) कि उ.पं. जयपुर–ा को मुद्रांक कर की वसूली/प्रकरण दर्ज कर संदर्भित करवाने हेतु निर्देशित(सितम्बर 2011) कर दिया गया है।

4.2 ऋण वसूली प्राधिकरण

4.2.1 विक्रय प्रमाण पत्र के पंजीयन का अभाव

रा.मु.अ., 1998 की धारा 17 में प्रावधान है कि कर देयता वाले सभी लेख्य पत्र तथा जो किसी भी व्यक्ति द्वारा राज्य में निष्पादित किये गये हो, पूर्व या निष्पादन के समय या उसके तुरन्त बाद अगले कार्य दिवस को मुद्रांकित किया जायेगा। इसके अलावा पंजीयन अधिनियम 1908 की धारा 17 (1) (ई) में प्रावधान है कि ₹ 100 व इससे अधिक मूल्य वाली अचल सम्पति के हस्तान्तरण या पंचाट द्वारा निर्दिष्ट या न्यायालय के आदेश या पारितोष जिनमें अधिकार, स्वामित्व या हित, सृजन, अभिवृद्वि, हस्तान्तरण के कारण किसी प्रतिफल के भुगतान या प्राप्ति की रसीद का दायित्व हो या दायित्व उत्पन्न होना हो, उनका पंजीयन अनिवार्य है। पंजीयन अधिनियम 1908 की धारा 23 तथा 25 में प्रावधान है कि वसीयत से भिन्न दस्तावेज पंजीयन हेतु तब तक स्वीकार नही किया जायेगा जब तक कि चार माह की अवधि में उचित पंजीयन अधिकारी को प्रस्तुत नहीं किया जाये, जो पंजीयन राशि के 10 गुना के बराबर शास्ति के भुगतान पर अगले चार माह तक बढाया जा सकता है। रा.मु.अ., 1998 की अनुसूची के आर्टिकल 17 के अनुसार एक सिविल या राजस्व न्यायालय या समाहर्त्ता या अन्य राजस्व अधिकारी द्वारा खुली बिक्री में किसी सम्पत्ति के विक्रय पर क्रेता को प्रदत्त विक्रय प्रमाण पत्र की, क्रय राशि के समान प्रतिफल की राशि पर कन्वेंस की दर से मुद्रांक कर प्रभारित किया जायेगा। पं.शु. भी विकय प्रमाण पत्र में

ऋण वसूली प्राधिकरण (ऋ.व.प्रा.) कार्यालय में हमारी संवीक्षा में पता चला की ऋण राशि के पुर्नभुगतान में असफल रहने पर ऋ.व.प्रा. द्वारा पॉच ऋणियों की सम्पत्ति जब्त कर नीलामी की गयी थी। ऋ.व.प्रा. द्वारा सफल बोलीदाताओं/क्रेताओं को विक्रय प्रमाण पत्र जारी किये गये थे। हालाँकि, क्रेताओ ने निर्धारित समय सीमा के 6 से 74 माह बाद भी विकय प्रमाण पत्र का पंजीयन, उ.पं. कार्यालयों में नहीं कराया था।

विकय प्रमाण पत्रों के अपंजीयन के फलस्वरूप अनुलग्नक–1 में दिए गए विवरणानुसार क्रय राशि पर मु.क. एवं पं.शु. के रूप में ₹ 6.60 करोड़ अप्रभार्य रहे।

प्रकरण संबंधित उ.पं./उ.म., जिन्हें ऋ.व.प्रा. द्वारा विक्रय प्रमाण पत्र की प्रति दी गई थी, के ध्यान में लाया गया (मई 2011)। उत्तर प्रतीक्षित रहा (जनवरी 2012)।

उप शासन सचिव (वित) ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2011) कि संबंधित उ.म. को विक्रय पत्रों के पंजीकृत प्रमाण पत्र का सत्यापन कर प्रति प्राप्त करने या मु.क. की वसूली हेतु निर्देशित (सितम्बर 2011) कर दिया गया है।

4.3 रीको लिमिटेड

4.3.1 पट्टा विलेखों के पंजीयन का अभाव

पंजीयन अधिनियम, 1908 की धारा 17 में प्रावधान है कि ₹ 100 व इससे अधिक मूल्य वाली अचल सम्पति के दस्तावेज जिनमें किसी सम्पति या उससे सम्बद्ध, अधिकार, स्वामित्व या हित, सृजन, अभिवृद्धि, हस्तान्तरण के कारण किसी प्रतिफल के भुगतान या प्राप्ति की रसीद का दायित्व चाहे वर्तमान में या भविष्य में, उत्पन्न होना हो, उनका पंजीयन अनिवार्य है। मु.क. एवं पं.शु.

राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (रीको) जयपुर से एकत्रित सूचना के अनुसार, रीको द्वारा जुलाई 1988 से मार्च 2010 के दौरान उद्योग स्थापित करने हेतु ₹ 189.87 करोड़ मूल्य की 28,05,019.41 वर्गमीटर भूमि के 1499 औद्योगिक प्लाटों का आवंटन/ विक्रय विभिन्न फर्मों को किया गया था। इन पट्टा विलेखों का पंजीयन विकास प्रभारों की पूर्ण राशि जमा कराने के 90 दिनों के भीतर कराया जाना था। फर्मों को नोटिस जारी करने के बावजूद पट्टा विलेखों का निष्पादन कर पंजीयन नहीं कराया गया (अगस्त 2011) था। इसके फलस्वरूप मु.क. एवं पं.शु. की कुल 13.32 करोड़ की अनुलग्नक-2 में दिये विवरणानुसार अवसूली हुयी।

उप शासन सचिव (वित्त) ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2011) कि सभी संबंधित उ.म. (मुद्रांक) को रीको कार्यालयों का निरीक्षण करने तथा पट्टा विलेखों के पंजीकरण की कार्यवाही करने हेतु निर्देशित (सितम्बर 2011) कर दिया गया है।

4.4 रजिस्टार ऑफ कम्पनीज

4.4.1 कम्पनियों के विलय के दस्तावेजों पर मुद्रांक कर प्रभारित नही करना

रा.मु.अ., 1998 की अनुसूची के आर्टिकल 21 (iii) के प्रावधानुसार कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 394 के अन्तर्गत उच्च न्यायालय के आदेश द्वारा कम्पनियों के विलय संबंधी दस्तावेजों पर चार प्रतिशत की दर से मुद्रांक कर प्रभार्य है। पंजीयन शुल्क भी एक प्रतिशत की दर से अधिकतम ₹ 25000 प्रभारित किया जायेगा।

रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज (र.ऑ.कं.), राजस्थान जयपुर से एकत्रित सूचना से हमें ज्ञात हुआ (मई 2011) कि पॉच ट्रान्सफरी कम्पनीयों द्वारा उच्च न्यायालय के आदेशों से विलय पर भुगतान योग्य मुद्रांक कर ₹ 14.54 लाख तथा पंजीयन शुल्क ₹ 1.03 लाख का भुगतान नहीं किया था। इसके फलस्वरूप मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क ₹ 15.57 लाख अप्रभारित रहा।

हमने प्रकरण र.ऑ.कं. के ध्यान (मई 2011) में लाया गया, उत्तर प्राप्त नही हुआ (जनवरी 2011)।

उप शासन सचिव वित्त ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2011) कि अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक) जयपुर को या तो मुद्रांक कर की वसूली करने या प्रकरण दर्ज कर संदर्भित करने के लिए निर्देशित (सितम्बर 2011) कर दिया गया है।

4.4.2 कम्पनियों की अधिकृत अंश पूँजी में वृद्धि पर कम मुद्रांक कर प्रभारित करना

रा.मु.अ., 1998 की अनुसूची के आर्टिकल 11 (i) के अनुसार अधिकृत अंश पूंजी में वृद्धि सें संबंधित किसी कम्पनी के आर्टिकल ऑफ एसोसियशन में संशोधन के लेख्य पत्र पर 27 मई 2004 से अधिकृत अंश पूंजी में वृद्धि पर 0.5 प्रतिशत की दर से मु.क. प्रभार्य है। 27 मई 2004 से पूर्व ऐसे दस्तावेजों पर राजस्थान मुद्रांक विधि (अनुकूलन) अधिनियम 1952 जो 27 मई 2004 से प्रतिस्थापित कर दिया गया था, के अधीन जारी अधिसूचना दिनांक 14 जनवरी 2004 के अनुसार 0.2 प्रतिशत की दर से

र.ऑ.कं. राजस्थान, जयपुर से एकत्रित सूचना से हमने पाया कि जयपुर स्थित एक निजी कम्पनी ने अपनी अंश पूंजी में ₹ 17 करोड़ की वृद्धि मार्च 2009 में की थी (5 करोड़ से 22 करोड़)। र.ऑ.कं. ने रा.मु.अ., 1998 के अधीन प्रभार्य 0.5

प्रतिशत की दर से ₹ 8.50 लाख के स्थान पर 0.2 प्रतिशत की दर से ₹ 3.40 लाख पर मुद्रांकित कम दर पर लेख्य पत्र स्वीकार किये, इसके फलस्वरूप मुद्रांक कर ₹ 5.10 लाख कम प्रभारित हुआ ।

प्रकरण र.ऑ.कं. के ध्यान में लाया गया (मई 2011) उत्तर प्रतीक्षित रहा (जनवरी 2012)।

उप शासन साचिव वित्त ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2011) कि अधिसूचना दिनांक 14 जनवरी 2004 के अनुसार मु.क. वसूल किया गया था। उत्तर मान्य नहीं है क्योकि अधिसूचना दिनांक 14 जनवरी 2004, वित्त (कर) विभाग द्वारा रा.मु.अ., 1998 से असंगत घोषित (21 जनवरी 2010) कर दी गयी थी।

4.4.3 कम्पनियों द्वारा प्रारम्भिक लोक निर्गम के माध्यम सें अंश आवंटन पर मुद्रांक कर प्रभारित न करना

रा.मु.अ., 1998 की अनुसूची के आर्टिकल 18 के अनुसार प्रमाण–पत्र या उसके धारक या स्वत्व को साक्ष्यांकित करने वाला या कोई अन्य व्यक्ति, जो या तो किसी अंश, लेख या किसी स्टॉक के संबंध में है और ऐसे अंश, लेख या स्टॉक किसी कम्पनी या उसके निकाय से संबंधित है, पर मुद्रांक कर, अंशो, लेख या स्टॉक के अंकित मूल्य के प्रति हजार (0.1 प्रतिशत) या उसके

र.ऑ.कं. जयपुर से एकत्रित सूचना से हमे ज्ञात (मई 2011) हुआ कि राजस्थान में पंजीकृत तीन कम्पनियों नें अपनी निधियों को प्रारम्भिक लोक निर्गम (प्रा.लो.नि.) के माध्यम से बढाया तथा अंकित मूल्य ₹ 23.04 करोड़ के 2,30,41,157 शेयर आम जनता तथा संस्थानिक क्रेताओं आदि को फरवरी 2007 से जुलाई 2008 के दौरान जारी किये। यह सूचना कि क्या इन कम्पनियों द्वारा मु.क. (₹ 2.30 लाख) चुका दिया गया था, प्रतीक्षित रही ।

प्रकरण र.ऑ.कं. के ध्यान (मई 2011) में लाया गया। उत्तर प्रतीक्षित (जनवरी 2012) रहा।

उप शासन सचिव (वित्त) ने बताया (दिसम्बर 2012) अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक) जयपुर को रा.मु.अ., 1998 के प्रावधानों के अनुरूप मु.क. की वसूली हेतु निर्देशित (सितम्बर 2011) कर दिया गया है।

सिफारिशें

- सरकार लोक कार्यालयों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी करे कि वे और अधिक सतर्क होकर यह देखे कि जो लेख्य पत्र उनके सम्मुख प्रस्तुत किए जाते है वे पूर्ण मुद्रांकित है, यदि नहीं हैं तो तुरन्त कार्यवाही कर उचित मु.क. एवं पं.शु. की वसूली हेतु प्रकरण कलक्टर (मुद्रांक) को सूचित किये जायें।
- सरकार एक सावधिक विवरणी निर्धारित करने पर विचार करें जिसमें लोक कार्यालयों द्वारा उनके सम्मुख प्रस्तुत दस्तावेजों की संख्या तथा प्रकृति और निष्पादकों द्वारा उन पर चुकाये गये मु.क. की सूचना भर कर विभाग को प्रेषित करें।